राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।

पीठासीन प्राधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ रा.प्र.से.

अपील सं. 08/2019

उनवान

1. मूलसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत
2. मोहन कंवर पत्नी मूलसिंह जाति राजपूत
3. नारायण पुत्र श्री अन्नाराम जाति पुरोहित
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री नारायण जाति पुरोहित
5. शिव प्रकाश पुत्र श्री नारायण जाति पुरोहित

निवासीगण गांव शोभासर तहसील व जिला बीकानेर

––अपीलान्ट

बनाम

1. मुख्तयार कौर पत्नी सुखदेव सिंह
2. निर्मल सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह
3. परविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह

जाति रामगढिया सिख निवासीगण जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर।

4. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज

––रेस्पोडेन्टान

उक्त अपील अंतर्गत धारा 23(1) उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम दिनांक 20.08.2019

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित

अप्रार्थी सं0 01 ता 03 की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया

अप्रार्थी सं0 04 की ओर से– पैराकराज

निर्णय दिनांक :– 15-10-2021

निर्णय

1. यह उक्त अपील धारा 23(1) उपनिवेशन अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम मु0 कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः 20.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम शोभासर तहसील व जिला बीकानेर के स्थाई निवासी है। जो पुश्तैनी तौर पर गांव शोभासर में ही स्थाई तौर पर निवास करते है।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 3 जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर में निवास करते है जिनके द्वारा गांव शोभासर में जरिये बैयनामा सन 1991 में खेत खसरा नम्बर 52/1 रोही मौजा शोभासर तहसील व जिला बीकानेर में अवतार सिंह वगैरह से खरीद की थी। अवतार सिंह वगैरह द्वारा बैयनामा के अनुसार खसरा नं0 52/1 का ही सुखदेव सिंह को मुख्तयार आम नियुक्त किया और खसरा नं0 52/1 का ही बैयनामा तस्दीक करवाया गया। जिनके द्वारा मौका पर कभी भी न अवतारसिंह वगै0 ने कब्जा काश्त की और ना ही मुख्तयारआम सुखदेव सिंह द्वारा काश्त की गई।

4. अपीलांट के गावं में ही पुश्तैनी जमीन पर सन 1988 को ग्राम पंचायत कानासर द्वारा आबादी भूमि पर आवासीय पट्टे काटकर दिये गये थे और वो जमीन सड़क के पास होने की वजह से रेस्पोडेन्ट के मन में लालच आ गया कि सड़क के पूर्वी साईड की जमीन भी इसी खसरे की है और इसी खसरे की भूमि पर कब्जा कर लिया जावे, यह मानकर अपीलांट को विभिन्न मुकदमों में रेस्पोडेन्ट के पति सुखदेव द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

5. रेस्पोडेन्ट सं0 1 का पति सुखदेव सिंह राजस्व विभाग में पटवारी और उसके बाद गिरदावर के पद पर आसिन था दौराने सर्विस सन 1991 में मुख्तयारआम घोषित होने के बाद किसी तरह का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं करवाया राजस्व रिकार्ड को तोड़–मरोड़कर अकारण अपीलांट की पट्टा व कब्जा शुदा भूमि पर कब्जा करने की नियत बनाकर अकारण अपीलांट एवं अपीलांट के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। सुखदेव सिंह अपने पद का अपने राजस्व अधिकारियों की जान पहचान का पूरा विश्वास पात्र भी बना रहकर पट्टे धारियों को परेशान करना शुरू कर दिया।

6. खसरा नं0 52/1 रोही मौजा शोभासर की रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी तरह खरीद की हुई है और वह उपनिवेशन रिकार्ड के मुताबिक खसरा नं0 52/1, 52/2, 52/3 अलग–अलग खसरों में विभाजित है। जिस भूमि पर रेस्पोडेन्ट अपना कब्जा बताते है वह खसरा नं0 52/1 है जो सड़क के पश्चिम की तरफ आती है जिस पर रेस्पोडेन्ट व उसके परिवार का कब्जा है और खसरा नं0 52/3 जो सड़क के पश्चिम साईड में है उस पर रेस्पोडेन्ट व रेस्पोडेन्ट के किसी भी परिवार का कब्जा है और ना ही राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है।

7. रेस्पोडेन्ट सं0 1 का पति राजस्व पटवारियों से मिली भगत करके विधवान अधीनस्थ न्यायालय में फर्जी रिपोर्ट खसरा नं0 52 की पेश की है जबकि खसरा नं0 52 का अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य कोई खसरा नही है क्योंकि उपनिवेशन रिकार्ड के मुताबिक सम्मत 2024 में उक्त खसरा उपनिवेशन विभाग द्वारा नाप–जौक करने के बाद में राजस्व रिकार्ड में स्पष्ट तौर से अंकित है और उसी के मुताबिक रेस्पोडेन्ट के पास खसरा नं0 52/1 का बैयनामा है जिस पर वे काबिज है।

8. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा पहले पूर्ण खसरा पर स्थगन जारी करवाया और अब तादादी 1 बीघा पर स्थगन जारी करवाया गया है जबकि जिस खसरे पर स्थगन जारी किया गया है उस खसरा पर रेस्पोडेन्ट का किसी तरह का न तो कब्जा है न तो राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है और जो इन्द्राज है वह स्पष्ट तौर पर मौका पर है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है।

9. वकील अपीलांट ने अपील मीमों के बिन्दुओं को ही बहस बताते हुए कथन किया कि खसरा नं0 52/1 रोही मौजा शोभासर की रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी तरह खरीद की हुई है और वह उपनिवेशन रिकार्ड के मुताबिक खसरा नं0 52/1, 52/2, 52/3 अलग–अलग खसरों में विभाजित है। उपनिवेशन रिकार्ड के मुताबिक सम्मत 2024 में उक्त खसरा उपनिवेशन विभाग द्वारा नाप–जौक करने के बाद में राजस्व रिकार्ड में स्पष्ट तौर से अंकित है और उसी के मुताबिक रेस्पोडेन्ट के पास खसरा नं0 52/1 का बैयनामा है जिस पर वे काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा पहले पूर्ण खसरा पर स्थगन जारी करवाया और अब तादादी 1 बीघा पर स्थगन जारी करवाया गया है जबकि जिस खसरे पर स्थगन जारी किया गया है उस खसरा पर रेस्पोडेन्ट का किसी तरह का न तो कब्जा है न तो राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है और जो इन्द्राज है वह स्पष्ट तौर पर मौका पर है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जो अपीलांट की पट्टा भूमि पर स्थगन जारी किया है उसे निरस्त किया जावे।

10. रेस्पो0 वकील ने फॉर्म संख्या 03 के संलग्न श्रीमान आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर का पत्रांक 2691 दिनांक 14.12.2021 पेश करते हुए कथन किया कि उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत के ग्राम शोभासर, कावनी तथा जयमलसर कुल तीन ग्राम राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.01.1959 से उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर वर्ष 1970–71 में तीनों ग्रामों का रिकार्ड राजस्व विभाग से प्राप्त हुआ। जिस पर विभाग द्वारा नियमानुसार सर्वे/रिसर्वे कार्य कर तत्समय विभाग द्वारा की गई तरमीमों को अंकित करते हुए उपनिवेशन सर्वे शीअैं तैयार की गई, परन्तु समस्त सर्वे रिकार्ड तेयार होने से पूर्व ही अधिसूचना दिनांक 01.02.1971 से उक्त तीनों ग्राम डी–कॉलोनाईज्ड घोषित कर दिये गये। जिस पर तीनों ग्रामों का राजस्व अभिलेख यथास्थिति में ही वापस राजस्व विभाग को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.07.1991 से उक्त तीनों ग्रामों (ग्राम शोभसर, कावनी, जयमलसर) को पुनः उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किया जाने पर राजस्व विभाग से वर्ष 1999–2000 में इन ग्रामों का अभिलेख पुनः उपनिवेशन विभाग को प्राप्त हुआ। चुंकि पूर्व में विभाग क्षरा उक्त तीनों ग्रामों की उपनिवेषनसर्वे कर सर्वेशीटें तैयार की जा चुकी थी, इसीलिए विभाग द्वारा राजस्व विभाग से प्राप्त रिकार्ड/नक्शों को अपनाकर रिकार्ड संधारित कर लिया गया तथा तब से आदिनांक तक राजस्व विभाग से प्राप्त नक्शों (लट्ठा ट्रेस) में ही नवीन तरमीमें की जाती रही। परन्तु कालान्तर में जब राजस्व विभाग से प्राप्त पुराने नक्शे जीर्ण–शीर्ण हो गए तो नियमानुसार इन ग्रामों की विभाग द्वारा वर्ष 1970 में तैयार की गई उपनिवेशन सर्वेशीटों के आधार पर नवीन मोमीया ट्रेस का रिकार्ड से मिलान नहीं होता। जिसका मुख्य कारण विभाग द्वारा वर्ष 1970 में तैयार की गई उपनिवेशन सर्वेशीटों में विभाग द्वारा की गई तरमीमों का तत्समय राजस्व विभाग द्वारा तैयार किये गये रिकार्ड में अंकन नहीं होना है।

उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर द्वारा उक्त तीनों ग्रामों के वर्तमान रिकार्ड एवं नक्शों में एकरुपता लाने हेतु पूर्व में वर्ष 1970 में तैयार की गई उपनिवेशन सर्वेशीटों जिनका रिकार्ड में कहीं इन्द्राज ही नहीं हुआ, को निरस्त करते हुए वर्ष 1999–2000 में राजस्व विभाग से प्राप्त रिकार्ड/वर्तमान रिकार्ड के अनुसार नवीन उपनिवेशन सर्वेशीट तैयार करवाकर उनके आधार पर नवीन नक्शा (मोमीया ट्रेस) तैयार करवाया जाने का निवेदन किया गया है। ताकि इन ग्रामों में प्राप्त सी.ए.डी. चकप्लानों के रिकार्ड राईटिग का कार्य पूर्ण करवाया जा सके।

11. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने ग्राम शोभासर में जरिये बैयनामा सन 1991 में खेत खसरा नम्बर 52/1 रोही मौजा शोभासर तहसील व जिला बीकानेर में अवतार सिंह वगैरह से खरीद की थी। अवतार सिंह वगैरह द्वारा बैयनामा के अनुसार खसरा नं0 52/1 का ही सुखदेव सिंह को मुख्तयार आम नियुक्त किया और खसरा नं0 52/1 का ही बैयनामा तस्दीक करवाया गया। जिसकी छायाप्रति पत्रावली के सलंग्न है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फॉर्म संख्या 03 के संलग्न खसरा गिरदावरी (चतुर्थ वर्षीय) ग्राम शोभासर तहसील व जिला बीकानेर सम्वत् 2025–28 में खसरा नं0 52/1 का अंकन है। खसरा गिरदावरी (चतुर्थ वर्षीय) ग्राम शोभासर तहसील व जिला बीकानेर सम्वत् 2032–35 में खसरा नं0 52/1 रकबा 24.17 बीघा अवतारसिंह, मिठूसिंह, दयालसिंह, मोहनसिंह पि0 लालसिंह कौम रामगढिया तहसील करनपुर जिला गंगानगर के नाम ई0 सं0 78 से खातेदार दर्ज है। खसरा गिरदावरी (चतुर्थ वर्षीय) ग्राम शोभासर तहसील व जिला बीकानेर सम्वत् 2036–39 में खसरा नं0 52/1 रकबा 24.17 बीघा अवतारसिंह, मिठूसिंह, दयालसिंह, मोहनसिंह पि0 लालसिंह कौम

रामगढिया तहसील करनपुर जिला गंगानगर के नाम दर्ज है। जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम शोभासर पटवार क्षेत्र शोभासर तहसील व जिला बीकानेर सम्वत् 2039–42 में भी खसरा सं0 52/1 रकबा 24.17 बीघा अवतारसिंह, मिठूसिंह, दयालसिंह, मोहनसिंह पि0 लालसिंह कौम रामगढिया तहसील करनपुर जिला गंगानगर के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर तथ्य सामने आया कि खसरा/गिरदावरी चतुवर्षीय ग्राम शोभासर उपनिवेशन तहसील कोलायत नं0 1 जिला बीकानेर सम्वत् 2064 में खसरा 52 रकबा 24.17 बीघा अवतारसिंह, मिठूसिंह, दयालसिंह, मोहनसिंह पि0 लालसिंह कौम रामगढिया सिख सा0 घनुर तहसील करनपुर जिला गंगानगर खातेदार दर्ज है साथ ही कॉलम सं0 17 में ई0नं0 619 दिनांक 23.05.2007 से मुख्त्यार कौर पत्नी सुखदेवसिंह 1/2 हिस्सा, निर्मलसिंह, परविन्द्रसिंह पि0 सुखदेवसिंह 1/2 हिस्सा कौम रामगढिया सिख साकिन जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर खातेदार स्वीकृत को रिकार्ड में अंकिन किया हुआ है।

अतः अपील पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट विदित होता है कि खसरा गिरदावरी (चतुर्थ वर्षीय) ग्राम शोभासर तहसील व जिला बीकानेर सम्वत् 2025–28, सम्वत् 2032–35, सम्वत् 2036–39 में खसरा नं0 52/1 रकबा 24.17 बीघा अवतारसिंह, मिठूसिंह, दयालसिंह, मोहनसिंह पि0 लालसिंह कौम रामगढिया सिख साकिन घनुर तहसील करनपुर जिला गंगानगर के नाम दर्ज है। जबकि खसरा/गिरदावरी चतुवर्षीय ग्राम शोभासर उपनिवेशन तहसील कोलायत नं0 1 जिला बीकानेर सम्वत् 2064 में खसरा संख्या 52 का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 52 से संबंधित सर्वेशीट मुताबिक खसरा नं0 52 से खसरा नं0 52/1, 52/2, 52/3 में विभाजित है परन्तु मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072–75 व लट्ठा ट्रैस में विभाजन नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्टान ने ग्राम शोभासर में जरिये बैयनामा सन 1991 में खेत खसरा नम्बर 52/1 रोही मौजा शोभासर तहसील व जिला बीकानेर में अवतार सिंह वगैरह से खरीद की थी। अवतार सिंह वगैरह द्वारा बैयनामा के अनुसार खसरा नं0 52/1 का ही सुखदेव सिंह को मुख्तयार आम नियुक्त किया और खसरा नं0 52/1 का ही बैयनामा तस्दीक करवाया गया। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.08.2019 खसरा नं0 52 के विवादित रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम शोभासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर अन्तरिम अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करना विधिसम्मत नहीं है।

12. उक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मुकाम कोलायत का आदेश दिनांक 20.08.2019 निरस्त किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रिकार्ड की पूर्णतः जांच कर नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15/10/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
एवं राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर